निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–117/2022
दायरा दिनांक :– 15.07.2022
निर्णय दिनांक :– 26-12-22

उनवान

प्रेमलता गोयल पत्नी महेन्द्र कुमार जाति महाजन, निवासी बालाजी नगर, मांगरोल बाईपास बारां, जिला बारां राज0
–वादीया

बनाम

1. रमेश पुत्र श्री प्रभूलाल जाति ब्राहमण निवासी खेडली भैडोलिया तहसील बारां जिला बारां राज0
2. रामचन्द्रपुत्र श्री प्रभूलाल जाति ब्राहमण निवासी खेडली भैडोलिया तहसील बारां जिला बारां राज0
3. कलावती पत्नी स्व0 कुंजबिहारी जाति ब्राहमण निवासी खेडली भैडोलिया तहसील बारां
4. रमा पुत्री कुंजबिहारी जाति ब्राहमण निवासी खेडली भैडोलिया तहसील बारां जिला बारां राज0
5. रवि पुत्र कुंजबिहारी जाति ब्राहमण निवासी खेडली भैडोलिया तहसील बारां जिला बारां राज0
6. रानू पुत्र कुंजबिहारी जाति ब्राहमण निवासी खेडली भैडोलिया तहसील बारां जिला बारां राज0
7. अशोक कुमार पुत्र गोपीबल्लभ जाति ब्राहमण निवासी खेडली भैडोलिया तहसील बारां जिला बारां
8. सनोज कुमार पुत्र गोपीबल्लभ जाति ब्राहमण निवासी खेडलो भैडोलिया तहसील बारां जिला बारां
9. शांतिबाई पत्नी स्व0 गोपीबल्लभ जाति ब्राहमण निवासी खेडली भैडोलिया तहसील बारां
10. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां
–प्रतिवादीगण

प्रर्थनापत्र अन्तर्गत धारा 11 एवं 151 सी0पी0सी0

निर्णय दिनांक :– 26-12-22

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री महेश प्रकाश गौतमएड0– वादी
2. श्री ओम मेहताएड0– प्रतिवादी

अभिभाषक प्रार्थी (प्रतिवादी) द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 एवं सपठि 151 सी0पी0सी0 इस आशय को पेश किया गया है। कि अप्रार्थीया द्वारा ग्राम समसपुर तहसील ब की आराजी खाता सं0 10 की आराजी खसरा नं0 589 रकबा 6.12 हे0 पर अन्तर्गत धारा आर0टी0ए0 में पेश किया गया है। जबकि उक्त आराजीयात के सन्दर्भ में न्यायालय उपख अधिकारी बारां के न्यायालय में वाद सं0 13/2006 उनवान ओमप्रकाश बनाम रमेशचन्द वगै0 जो दिनांक 30.09.2021 को निर्णय व डिक्री पारित की जा चुकी है जिसमें अप्रार्थीया प्रतिवादी 10 के रूप में पक्षकार है अगर वादिया को किसी भी प्रकार की उक्त आराजीयात के सन्द आपत्ति थी तो अपील करना चाहिए था उसी आराजीयात के सन्दर्भ में नया वाद प्रस्तुत करने कोई विधिक अधिकार नहीं है। उक्त वाद धारा 11 सी0पी0सी0 रेसजूडीकेटा का असर रखती है

उपखण्ड अधिकारी
वाराँ

Scanned with CamScanner

इस प्रकार उक्त वाद धारा 11 सी0पी0सी0 के आधार पर चलने योग्य नहीं है। उक्त निर्णय की अपील वादिया द्वारा दिनांक 03.08.22 को अपीलीय न्यायालय में पेश की जा चुकी है। अप्रार्थी द्वारा पूर्व वाद कमांक 13/2006 में अपना जवाब प्रस्तुत किया है। तथा उक्त वाद में वादिया द्वारा प्रस्तुत दावा प्रेमलता बनाम ओमप्रकाश भी प्रस्तुत पूर्व वाद में पेश हुआ है इस प्रकार पूर्व में प्रेमलता बनाम ओमप्रकाश के वाद का क्या असर रहा उसका भी उल्लेख वक्त वाद में नहीं किया है। वर्तमान में वादीया खातेदार नहीं है। न उसका कोई कब्जा है। तथा वाद सं0 13/2006 उक्त वाद पर रेसजूडीकेटा का असर रखता है। इस प्रकार वादिया एवं प्रतिवादीगण पूर्व वाद में पक्षकार रहें है। इस आधार पर वादीया नया वाद लाने से प्रतिबन्धीत है प्रर्थी प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी वादीया का वाद रेसजूडीकेटा के आधार पर खारिज करने का निवेदन किया है।

अप्रार्थीया (वादीया) द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया जिसमें बताया की प्रार्थना पत्र में धारा 11 के कोई अवभव का आधार उल्लेख नहीं है। इस कारण प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है। पूर्व वाद सं0 13/2006 राजीनामे के आधार पर डिक्री किया गया है। जिस राजीनामे में छलपूर्वक वादीया का नाम टंकण करवाया है। उसके कहीं हस्ताक्षर नहीं है। राजीनामे में से निर्णित वाद धारा 11 का प्रभाव नहीं रखते है। वर्तमान वाद नये वाद कारण पर प्रस्तुत हुआ है। पूर्व वाद सं0 13/2006 में विधि एवं प्रकिया के अनुसार सुना जाकर फाइनली डीसाइडेड नहीं किया गया है। तथा वादिया द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावे के बाबत एक शब्द भी निर्णय में नहीं आया है। इस कारण अंतिम रूप से पूर्व वाद का निपटारा नहीं हुआ है। और ऐसा पूर्व निर्णय वर्तमान वाद पर कोई असर नहीं डालता है। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत नहीं कर वाद को लटकाये जाने के आशय से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो 5000/– विशेष हर्जे पर निरस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थीया (वादीया)द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी (प्रतिवादी) द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी(प्रतिवादी) का कथन है। कि पूर्व में दावा किया है इन्होंने। इसलिए चलने योग्य नहीं है। वादीया 188 में दावा लाए है। ये दावे के तथ्य बताये। वादिया खातेदार नहीं है। खातेदारों के खिलाफ दावा नहीं ला सकते है। वादीया ने भूमि 2005 में कय की है तो ये खातेदारी का दावा क्यों नहीं लाए। वादीया द्वारा इस न्यायालय के निर्णिय दिनांक 30.09.2021 के आदेश की अपिल माननीय न्यायालय भू–प्रबन्धन अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपिल अधिकारी कोटा में चल रहा है। वादीया के विकय पत्र 2005 के आधार पर खोला गया नामा0 खारिज हो चुका है। इसके द्वारा माननीय न्यायालय भू–प्रबन्धन अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी कोटा में अपील भी की गई है। और धारा 188 आर0टी0एक्ट में दावा भी किया है। धारा 188 आर0टी0एक्ट के तहत दावा खातेदार ही लाएगा। सह–खातेदारों के खिलाफ। क्या खातेदार के खिलाफ धारा 188 आर0टी0एक्ट का दावा लाया जा सकता है। प्रार्थी (प्रतिवादी) द्वारा आर0आर0डी0 2006 पेज नं0 107, डी0एन0जे0 2007(1) पेज नं0 548, 325 रूलिंग पेश की गई है। वादीया द्वारा धारा 188 में वाद पत्र पेश किया है। खातेदारों के

उपखण्ड अधिकारी
वाराँ

Scanned with CamScanner

खिलाफ जो वादीया को दावा पेश करने का कोई अधिकार नहीं था। वादीया का वाद चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 11 सी0पी0सी0 स्वीकार कर वादीया का वाद खारिज किया जावे।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी(वादीया) का कथन है। कि प्रार्थी(प्रतिवादी) डिक्री की आड में भूमि से बेदखल करना चाहते है। क्या राजीनामा में न्यायिक दिमाग लगाया गया। राजीनामा से निर्णित होने वाले प्रकरणों में रेसजूडीकेटा लागू नहीं होता। यदि दावे का मेरिट पर निर्णय हुआ है तो तब रेसजूडीकटा लागू नहीं होता है। दावा प्रोपर तरीके से मेरिट पर ही निर्णय होना चाहिए था। धारा 188 आर0टी0एक्ट का दावा कब्जे धारी भी ला सकता है। पूर्व दावा राजीनामे के आधार पर डिक्री किया गया है। राजीनामे से निर्णित वाद धारा 11 सी0पी0सी0 का प्रभाव नही रखता है। पूर्व दावा विधि एंव प्रक्रिया के अनुसार निर्णित नहीं किया है। प्रार्थी (प्रतिवादी) दावे में जवाब दावा पेश नहीं कर वाद पत्र को लम्बा करने की नियत से ये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी (वादीया) द्वारा 2018(2) सी0जे0 (civ)(sc) पेज नं0 455, आर0एल0डब्ल्यू0 2005(1) आर0 व जे0 पेज नं0 406, 2002(1) सी0डी0आर0 पेज नं0 868, आर0सी0आर0 2003(2) पेज नं0 448, 2019(1)सी0जे0 (civ) (आर0 व जे0) पेज नं0 275 एवं आर0बी0जे0(2)2021 पेज नं0 760 रूलिंग पेश की गई। प्रार्थी (प्रतिवादी) का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

बहस प्रा0 पत्र अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल निर्णय दिनांक 30.09.2021 वाद सं0 13/2006 दावा उनवान ओमप्रकाश बनाम रमेशचन्द वगै0 के अनुसार वादिया कम 10 पर पक्षकार के रूप दर्ज है नकल रजिस्टर्ड बयनामादिनांक 23.05.2005 के अनुसार रमेश, रामचन्द्र, कुंजबिहारी, पुत्र प्रभूलाल अशोक कुमार, मनोज कुमार पुत्र गोपीवल्लभ, शान्तिबाई बेवा गोपीवल्लभ जातिब्राह्मण निवासी खेडली भेडोलिया द्वारा खसरा नं0 589 रकबा 6.12 हे0 में हिस्सा 1/2 वाके माल खेडली भेडोलिया तहसील बारां को बिल एवज 3,82,500/– में अप्रार्थी(वादीया) प्रेमलता गोयल पत्नी श्री महेन्द्र कुमार गोयल जाति महाजन को बेचान किया जाना पाया जाता है। नकल जमाबन्दी ग्राम समसपुर सम्वत् 2071–74 खाता सं0 10 के अनुसार प्रतिवादीगण के खातेदारी में दर्ज है। इससे यह साबित होता है। कि विवादित आराजी खसरा नं0 589 रकबा 6.12 हे0 भूमि प्रतिवादीगण के खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। वादिया द्वारा विक्रय पत्र के अनुसार खसरा नं0 589 की 1/2 भूमि ग्राम खण्डेली भेडोलिया की क्रय किया जाना दर्ज है। जबकि दावा ग्राम समसपुर की भूमि का किया है। विवादित आराजी में वादिया खातेदार नहीं है। जबकि दावा 188 आर0टी0एक्ट का किया गया है। वादिया खातेदार नहीं होने के वाद भी धारा 188 आर0टी0एक्ट का दावा कैसे ला सकती है। वादिया पूर्व वाद पत्र में भी पक्षकार थी। नकल नामा0 सं0 376 दिनांक 06.11.2005 के अनुसार प्रेमलता का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामा0 खोला गया परन्तु दस्तावेज में गांव का नाम गलत होने के कारण खारिज किया गया। वादिया द्वारा वर्ष 2005 के बाद आज दिन तक खातेदारी के लिए

उपखण्ड अधिकारी
वारॉं

Scanned with CamScanner

कोई कार्यवाही नहीं की है। नकल आदेश दिनांक 13.09.22 न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी कोटा की अपील सं0 2022/257 धारा 223 उनवान प्रेमलता बनाम रमेशचन्द पेश की गई जिसमें आगामी दिनांक 09.11.2022 नियत थी। इससे यह साबित होता है। कि वादिया द्वारा पूर्व दावे के निर्णय की अपील माननीय न्यायालय आर0ए0ए0 को में की गई है। वादिया द्वारा खातेदार के विरूद्ध 188 आर0टी0एक्ट का वाद पत्र प्रस्तुत किया है। रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने का नहीं किया है। वादिया द्वारा पूर्व वाद 13/2006 की अपील माननीय न्यायालय आर0ए0ए0 कोटा में की जा चुकी है। तो वादिया पुनः वाद नहीं ला सकती है। पुनः वाद पत्र भी खातेदारों के विरूद्ध लाया गया है। ऐसी स्थिति में वादिया का वाद धारा 11 सी0पी0सी0 के तहत खारिज किया जाना न्यायोचित है।

कियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचानानुसार प्रार्थी (प्रतिवादी) का प्रार्थना पत्र धारा 11 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है। तथा वादी का वाद खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

Scanned with CamScanner